संख्या-20/2015/क0नि0-4-637 /11-2015-300(38)/2003

प्रेषक,

गीता मिश्रा,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,

वाणिज्य कर,

उ0प्र0 लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 लखनऊःदिनांक 30 मार्च, 2015

विषयः-जनपद अलीगढ़ में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 से क्रय की भूमि पर वाणिज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-स0नि0-अलीगढ़-24/क0भ0-निर्माण/2014-2015/1025/वाणिज्य कर, दिनॉक-20.03.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अलीगढ़ में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 से क्रय की भूमि पर वाणिज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस, उ0प्र0 जल निगम, यूनिट-25, अलीगढ़ द्वारा प्रस्तुत आगणन की आंकलित लागत रू0 2244.57 लाख (रू0 बाईस करोड़ चौव्वालिस लाख सत्तावन हजार मात्र) पर प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2014-15 के आयोजनेत्तर पक्ष के बजट से प्रथम किश्त् की धनराशि रू0 2.00 करोड़ (रू0 दो करोड़ मात्र) को अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल उ0प्र0 निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः-

1. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
2. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी आयुक्त, वाणिज्य कर की होगी तथा यह सुनिश्चित करेगें कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
3. स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी। आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।
4. कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉं एवं पर्यावरण क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. प्रयोजना के अन्तर्गत लिफ्ट व एच0पी0एम0वी0 लैम्प का प्रावधान किया गया है। क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर निविदा प्राप्त करें। चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः यह अपेक्षा की जाती है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय। इन मदों पर सेन्टेज चार्ज अनुमन्य नहीं किया गया है।
6. आगणन में 3576.60 घ0मी0 मिट्टी भराई हेतु रू0 10.31 लाख का प्राविधान किया गया है। दिनांक 8-3-2010 को आहूत बैठक में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा यह व्यवस्था दी गई थी कि यदि किसी प्रायोजना में मिट्टी भराई की आवश्यकता पड़ती है तो सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर अधिशासी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया जाय जिसमें सदस्य के रूप में जिलाधिकारी के प्रतिनिधि एवं निर्माण एजेन्सी तथा सदस्य सचिव के रूप में प्रशासकीय विभाग के स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि रहेगें। इस समिति द्वारा अनुमोदित कन्टूर मैप एवं मिट्टी की मात्रा के अनुसार ही प्रायोजना प्रस्ताओं/आगणनों में मिट्टी भराई का प्रावधान किया जाय। अन्यथा की स्थिति में मिट्टी भराई मद में प्रस्तावित धनराशि पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। यह प्रक्रिया चूँकि सन्दर्भित प्रायोजना में नहीं की गयी है। अतः प्रभाग द्वारा प्रस्तावित रू0 10.31 लाख के सापेक्ष फिलहाल एकमुश्त लागत रूपये- 2.00 लाख अनुमन्य की गयी है ताकि प्रायोजना का निर्माण कराने में कोई कठिनाई न हो। जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति की रिर्पोट/संस्तुति के उपरान्त परीक्षणोपरान्त अवशेष धनराशि देय होगी। .

7. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

8. प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

9. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

10. प्रायोजना का निर्माण कार्य विभागीय पद्धति के अनुसार कराया जायेगा। निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का अन्तिम रूप से अनुमोदित ड्राइंग/डिजाइन के आधार पर विस्तृत आगणन का गठन कर लिया गया है तथा इस विस्तृत आगणन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

11. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

12. प्रयोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

13. प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/आयुक्त, वाणिज्य कर का होगा।

14. परियोजना निर्माण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

15. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07 .2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-89 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-13-क्षेत्रीय कार्यालय-1309- जनपद अलीगढ़ मे वाणिज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण- 24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-9-120/दस-2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,
गीता मिश्रा
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 20/2015/क0नि0-4- 637(1) /11-2015 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,इलाहबाद।

2-महालेखाकार(लेखापरीक्षा) प्रथम/द्वितीय,इलाहाबाद।

3-मुख्य कोषाधिकारी, अलीगढ़, उ0प्र0।

4-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

5-परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0,उ0प्र0 जलनिगम यूनिट-25, अलीगढ़।

6-वित्त नियंत्रक,वाणिज्य कर विभाग,उ0प्र0,लखनऊ।

7-गार्ड बुक/समीक्षा अधिकारी (बजट)।

आज्ञा से,
धीरेन्द्र कुमार वर्मा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।